

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : सुश्री सिद्धिका

किस्म मुकदमा -88,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री केशु

पत्रावली संख्या : 76 / 23

जीसीएमएस : 2023 / 249

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 04.03.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादीया मय वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादीया मय वादीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्गो का पेश किया। शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्गो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्गो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीया एवं स्वयं वादीया को प्रार्थना पत्र वाद विद्गो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्गो को पढकर अधिवक्ता वादीया मय वादीया को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीया की पहचान अधिवक्ता वादीया द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीया मय वादीया अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्गो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्गो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्गो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

